न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

राजस्थान सरकार –	बहक	श्री सुरेन्द्रसिंह
जरिये पटवार हल्का भकरी		पुत्र श्री दशरथसिंह
		जाति राजपूत नि. भील भकरी
मुकदमा नं. 11/2018		राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक 24/9/18

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम भील भकरी खसरा नम्बर 390 रकबा 4.05 हैक्टर किस्म गै.मु.नदी (राजकीय भूमि) पर संवत 2075 में श्री सुरेन्द्रसिंह पुत्र श्री दशरथसिंह जाति राजपूत निवासी भील भकरी (जिसे आगे अप्रार्थी कहा गया है) द्वारा ढोल लगाकर कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का अर्न्तगत अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हलका द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अर्न्तगत नोटिश जारी कर तलब किया गया। तलबी पर अप्रार्थी को नोटिस तामील हुआ प्राप्त जो शामिल मिसल है। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित ए.50 जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम भील भकरी ख.न. 390 रकबा 4.05 है. किस्म गै.मु.नदी पर संवत 2074 में बिना विधिक अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर ढोल लगाकर कर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते है कि :–

(1) अतिक्रमी को आरजी राज से बेदखल किया जाकर कब्ज बहक सरकार लिया जावे।

(2) लगान दर रूपया 6 रु. प्रति हे. का 50 गुणा रूपया 1215/- रु. (रूपये एक हजार दो सौ पन्द्रह रुपये) शास्ति कायम की जाती है।

निर्णय की क्रियान्विती हेतु पटवारी हल्का भकरी भु. अभिलेख निरीक्षक बागोट एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये।

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/9/18 का सरे इजलास सुनाया।

(हस्ताक्षर)

नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

2018-19
[illegible] के पृष्ठ सं. 54
[illegible] 1215/- रु. की
[illegible] की गई।

Scanned by CamScanner